मुख्यालय पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक–रिट–मिस–अन्य– /2024 दिनांक–अगस्त 21 ,2024

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

विषय– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–429/2022 रिद्धिमा पाण्डेय बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखण्ड में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–08–2024 के अनुपालन में अनुपालन आख्या।

कृपया परामर्शदाता (न्यायिक), मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के ई–मेल पत्र दिनांकित 20–08–2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–429/2022 रिद्धिमा पाण्डेय बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखण्ड में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–08–2024 को पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट किये जाने के निर्देश दिये गये है।

2– उपरोक्त सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि डिप्टी रजिस्ट्रार, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा अपने पत्र दिनांकित 05–08–2024 के माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–429/2022 रिद्धिमा पाण्डेय बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखण्ड में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–07–2024 के अनुपालन में जारी जमानती वारण्ट को M/s. A.P. Infra Engineers Pvt. Ltd., D-138, Sector-51, Noida-201301 Uttar Pradesh को प्राप्त/तामील कराते हुए प्राप्ति प्रति मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दाखिल किये जाने के आदेश दिये गये थे।

3– उक्त आदेश के अनुपालन में थाना सैक्टर–49, नोएडा, गौतमबुद्धनगर पर नियुक्त उपनिरीक्षक श्री विनय बहादुर द्वारा उक्त जमानती वारण्ट की तामील मौके पर जाकर की गयी तो जमानती वारण्ट में अंकित पते पर ताला लगा हुआ पाया गया, जिसके क्रम में उपनिरीक्षक श्री विनय बहादुर द्वारा उक्त पते पर ताला लगा होने के सम्बन्ध में रिपोर्ट उपलब्ध करायी गयी, परन्तु उपनिरीक्षक श्री विनय बहादुर द्वारा तामीला रिपोर्ट में प्रतिपक्षी M/s. A.P. Infra Engineers Pvt. Ltd. के स्थान पर त्रुटिवश याची रिद्धिमा

पाण्डेय का नाम अंकित कर दिया गया, जबकि उपनिरीक्षक विनय बहादुर द्वारा तामील जमानती वारण्ट में अंकित पता–D-138, Sector-51, Noida-201301 Uttar Pradesh पर ही की गयी थी।

4– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा जारी जमानती वारण्ट की तामील प्रक्रिया में बरती गयी लापरवाही के सम्बन्ध में कार्यालय आदेश संख्या–ज–715/2024 दिनांक 20–08–2024 के द्वारा सहायक पुलिस आयुक्त–3, नोएडा, गौतमबुद्धनगर को प्रारम्भिक जॉच आवंटित की गयी है।

5– उक्त जमानती वारण्ट की पुनः तामील थाना प्रभारी सैक्टर–49, नोएडा, गौतमबुद्धनगर के द्वारा की गयी तो जमानती वारण्ट में अंकित पता–D-138, Sector-51, Noida-201301 Uttar Pradesh पर ताला लगा होना पाया गया तथा आस पास के लोगों से उक्त सम्बन्ध में जानकारी की गयी तो बताया गया कि उक्त भवन काफी समय से बन्द है।

6– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एससी–एसटी आरक्षण को लेकर दिनांक 01–08–2024 को पारित आदेश के विरोध में विभिन्न दलित संगठनों द्वारा 21–08–2024 को भारत बंद किए जाने का आहवान किया गया है। भारत बन्द के आहवान के दृष्टिगत कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने हेतु पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर एवं अद्योहस्ताक्षरी द्वारा सुनवाई हेतु नियत दिनांक 21–08–2024 को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष उपस्थित होना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

7– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में सुनवाई के दौरान मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु राजपत्रित अधिकारी श्री बृजेश कुमार गुप्ता, सहायक पुलिस आयुक्त, मुख्यालय गौतमबुद्धनगर को अधिकृत कर भेजा जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–429/2022 रिद्धिमा पाण्डेय बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखण्ड में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–08–2024 के अनुपालन में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को उपरोक्त तथ्यों से अवगत कराते हुए पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर एवं अद्योहस्ताक्षरी को व्यक्तिगत उपस्थिति से माफ करने की कृपा करें।

<u>संलग्नक–यथोपरि।</u>

पुलिस उपायुक्त नोएडा,
गौतमबुद्धनगर।

सहायक पुलिस आयुक्त–3 नोएडा,
कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

कृपया परामर्शदाता न्यायिक, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली के ईमेल पत्र दिनॉकित 20.08.2024 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है, का अवलोकन करे, जिसके द्वारा अवगत कराया गया, कि मान्नीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या:429/2022 में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनॉक: 19.7. 2024 के द्वारा M/S.A.P.S Infra Engineers Pvt, Ltd. D-138, Sector 51, noida, up के विरूद्व जमानतीय वारण्ट निर्गत किया गया था, जिसे थाना सैक्टर–49 पर नियुक्त उपनिरीक्षक विनय बहादुर द्वारा तामील किया गया। उ0नि0 द्वारा अपनी तामीला आख्या दिनॉकित 10.08.2024 में अंकित किया गया है कि मुझ उ0नि0 द्वारा दिये गये पते पर D-138, Sector 51, noida, पर जाकर की गयी तो ridhima panday के घर D-138, Sector 51, noida,ताला लगा मिला और आस पास के लोगो से जानकारी की गई तो कोई जानकारी नहीं मिल सकी, जवकि उक्त वरण्ट M/S. A.P.S Infra Engineers Pvt, Ltd. D-138, Sector 51, noida, up के विरूद्व निर्गत किया गया था। उ0नि0 द्वारा अपनी तामीला आख्या सही व तथ्यपरक अंकित न किए जाने के कारण मान्नीय न्यायालय द्वारा आपत्ति प्रकट करते हुए पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट किए जाने के निर्देश दिए गये है।

अतः आप उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में उ0नि0 विनय बहादुर व वरिष्ठ उपनिरीक्षक, उक्त रिपोर्ट अग्रसारितकर्ता अधिकारी थाना सैक्टर–49 नोएडा गौतमबुद्धनगर द्वारा बरती गयी लापरवाही के सम्बन्ध में गहराई से प्रारम्भिक जॉच करके अपनी सुस्पष्ट जॉच आख्या 03 दिवस के अन्दर प्रत्येकदशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

संलग्नःपत्रावली क0 01 से 10 तक
पत्रांकःज–715/2024
दिनांकःअगस्त 20 ,2024

20/8/24
पुलिस उपायुक्त,
मुख्यालय
गौतमबुद्धनगर।

<u>रिपोर्ट थाना सै0-49 नोएडा गौतमबुद्धनगर</u>

सेवा में,

माननीय न्यायालय श्रीमान प्रधान पीठ राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली कोर्ट नं0- 2 ।

महोदय,

सादर अवगत कराना है मुझ प्रभारी निरीक्षक द्वारा Baliable warrant के संबंध में M/s A.P.S. Infra Engineers pvt. Ltd. D 138 sec 51 noida के पते पर कम्पनी के मालिक व कर्मचारियों की तलाश के लिए दबिश दी गयी तो उक्त पते पर बने भवन में ताला लगा हुआ मिला । आस-पास के लोगों से उक्त के बारे में जानकारी की गयी तो जानकारी हुई कि उक्त भवन काफी दिनों से बंद है जिसमें ताला लगा हुआ है ।

श्रीमानजी रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।

20/08/24
प्रभारी निरीक्षक
थाना सै0 49, नोएडा

प्रभारी निरीक्षक
थाना सै० 49 नोएडा
गौतम बुद्ध नगर

<u>संलग्नक-</u>

1. तामीला कार्यवाही की फोटो – 01 वर्क

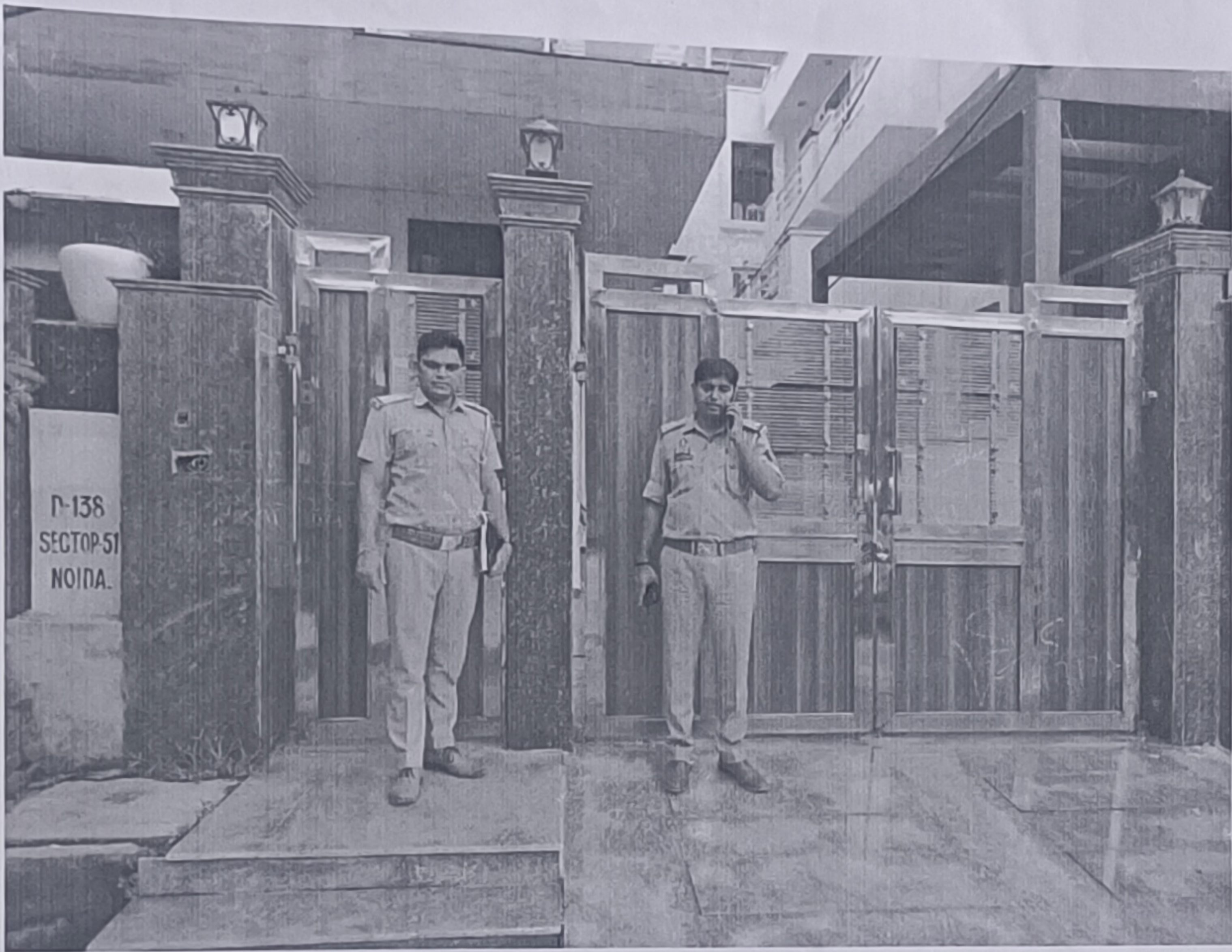
D-138
SECTOR-51
NOIDA.